फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हीरसिंह **विपक्षी : श्री भेरूसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 99/18**

जीसीएमएस : 2018/00410

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4, 6, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 5 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 7 के नाम पर दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी। मामला पैतृक भूमि में घोषणा के हक अधिकारो का है यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया विपक्षी सं. 1 से 4, 6, 7 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता सं. 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 973, 894, 1094 किता 3 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खाता सं. 147 पर दर्ज आराजी नम्बर 979 रकबा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 6 पर दर्ज आराजी नम्बर 1326 से 1332 किता 7 रकबा 42 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.09.02 13:59:48 IST Reason: SelfAttested	